न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2017

अनवान

1 युगल सिंह पिता शक्ति सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा
2 मोहन देवी पत्नि शक्ति सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

.... **वादी**

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0
2 प्रेमसिंह पिता किशन सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा
3 मोहन सिंह पिता किशन सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

..... **प्रतिवादी**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके बनेडा पटवार हल्का क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 840 के आराजी संख्या 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377 कुल किता 08 कुल रकबा 07–12 बीघा भूमि किशना पिता गिरधारी दरोगा सा0 देह के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसमें किशना पिता गिरधारी दरोगा की मृत्युपरान्त उनके वारिसान बंशीलाल, प्रेमसिंह, मोहनसिंह, सत्यनारायण पिता किशनसिंह के नाम नामान्तकरण खोला गया जिसमें वादीगण के पिता एंव पत्नि का नाम शक्ति सिंह पिता किशनसिंह दरोगा के स्थान पर सत्यनारायण पिता किशनसिंह दरोगा दर्ज कर दिया गया। जबकी वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक होकर दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में वादी उक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादीगण के पिता का नाम शक्ति सिंह पिता किशनसिंह दरोगा के स्थान पर सत्यनारायण पिता किशनसिंह दरोगा राजस्व रेकार्ड में हुए त्रूटीपूर्ण अंकन को दुरूस्त किये जाने की डिकी सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 11.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में प्राप्त किया जाकर पंजीबद्ध किया कर दर्ज रजिस्टर किया गया। शिविर के दौरान ही दिनांक 30.06.2017 को

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)

वादीगण युगल सिंह पिता शक्ति सिंह रावणा राजपूत व मोहन देवी पत्नि शक्ति सिंह रावणा राजपूत निवासी भीलवाडा के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

3. उक्त प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एंव कलमबद्ध बयानो एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादी द्वारा वादपत्र के साथ फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, शक्ति सिंह मृत्यू प्रमाणपत्र, रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के पिता का नाम शक्ति सिंह पिता किशन सिंह दरोगा है। लिहाजा वादी का वाद पत्र मेरिट व परिक्षण से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 840 के आराजी संख्या 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377 कुल किता 08 कुल रकबा 07—12 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम सत्यनारायण पिता किशन सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) खातेदार के बजाय शक्ति सिंह पिता किशन सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2017

अनवान

1 युगल सिंह पिता शक्ति सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

2 मोहन देवी पत्नि शक्ति सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा .... वादी

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

2 प्रेमसिंह पिता किशन सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

3 मोहन सिंह पिता किशन सिंह रावणा राजपूत निवासी हाल म0न0 342 जवाहरनगर भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील वादी**

दिनांक – 30.06.2017

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 840 के आराजी संख्या 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377 कुल किता 08 कुल रकबा 07–12 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम का नाम सत्यनारायण पिता किशन सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) खातेदार के बजाय शक्ति सिंह पिता किशन सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) सह खातेदार दुरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रैगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)